

विदेशी लडके से शादी

1. यदि कोई भी पी कार्ड धारक । भारतीय नारी । किसी भी । विदेशी लडके से । शादी करती है
2. तो उस पी कार्ड धारक । भारतीय नारी को । यह तय करना होगा कि ।

नं 1 वह विदेशी पति के साथ । भारत में रहना चाहती है ।

नं 2 य विदेशी पति के साथ । विदेश में ही । रहना चाहती है ।

नं 3 य भारतीय लडकी भारत में । और उसका विदेशी पति । विदेश में रहना चाहते हैं ।

भारतीय नारी । विदेशी पति के साथ भारत में ही रहती है

1. यदि कोई भी पी कार्ड धारक । भारतीय नारी । किसी भी । विदेशी लडके से शादी करती है ।
2. और शादी के बाद । विदेशी लडके को । भारत में ही रखना चाहती है ।
3. तो उस विदेशी लडके को । विदेश के । हर किसी देश की । नागरिकता छोडनी होगी ।
4. जब विदेशी लडका । विदेश के । हर किसी देश की । नागरिकता छोडने का सर्टीफिकेट । भारत सरकार को देगा ।
5. तभी । विदेशी जमाई को । पी य अन्य कार्ड मिलेंगे ।
6. तभी । विदेशी जमाई । भारत का नागरिक । बन सकता है ।
7. तभी । विदेशी जमाई को । भारत सरकार की । मदद भूमि मिल सकती है ।
8. भारतीय लडकी से शादी के बाद । विदेशी लडका चाहे । भारत में रहे । य विदेश में रहे । किसी भी सूरत में । यदि विदेशी लडके के । लडका य लडकी बच्चा होता है ।
9. तो यदि । लडका य लडकी बच्चा । का पी कार्ड भारत में बनता है । तो ही । लडका य लडकी बच्चा । भारत का नागरिक होगा ।

नं 2 भारतीय नारी । विदेशी पति के साथ

विदेश में ही रहना चाहती है ।

1. तो उस पी कार्ड धारक । भारतीय नारी को । भारत की नागरिकता । छोडनी होगी । पी कार्ड व अन्य कार्ड । भारत सरकार में जमा हो जायेंगे । पी कार्ड व अन्य कार्डों की । सारी सम्पत्ती पर । भारत सरकार का अधिकार होगा ।
2. पी कार्ड अंकित । जेवर । नग । य वाहन पर । भारत सरकार का अधिकार होगा ।
3. भारतीय लडकी । अपने कपडे । व अन्य जरूरत का सामान लेकर ही । विदेशी पति के साथ । विदेश जा सकती है ।
4. विदेशी पति सिर्फ । भारतीय पत्नी को । विदेश लेकर जा सकता है । भारतीय सम्पत्ती को नहीं ।

5. क्योंकी । विदेशी पुरुष ने । भारतीय लडकी से । शादी किया है । भारत की सम्पत्ती से । शादी नहीं किया है ।
6. भारतीय नागरिक से शादी के बाद । विदेशी लडकी चाहे । भारत मे रहे । य विदेश मे रहे । किसी भी सूरत मे । यदि विदेशी लडकी के । लडका य लडकी बच्चा होता है ।
7. तो यदि । लडका य लडकी बच्चा । का पी कार्ड भारत मे बनता है । तो ही । लडका य लडकी बच्चा । भारत का नागरिक होगा ।

नं 3 भारतीय लडकी भारत मे । और उसका विदेशी पति विदेश मे

1. यदि कोई भी । पी कार्ड धारक । भारतीय नारी । किसी भी । विदेशी लडके से । शादी करती है और शादी के बाद । विदेशी पति को । भारत मे नहीं रखना चाहती है । लडकी भारत में । और विदेशी पति को । विदेश मे ही रखना चाहती है ।
2. तो । उस विदेशी पति को । भारत की नागरिकता । नहीं मिलेगी ।
3. तब भारतीय लडकी का । विदेशी पति । यदि । भारत आता हैं ।
4. तो । विदेशी पति को । एफ टी कार्ड । यानी फार्नर ट्रैवल कार्ड के जरिये ही । तय सीमा । अवधि के लिए ही । भारत आना होगा ।
5. भारतीय नागरिक से शादी के बाद । विदेशी लडकी चाहे । भारत मे रहे । य विदेश मे रहे । किसी भी सूरत मे । यदि विदेशी लडकी के । लडका य लडकी बच्चा होता है ।
6. तो यदि । लडका य लडकी बच्चा । का पी कार्ड भारत मे बनता है । तो ही । लडका य लडकी बच्चा । भारत का नागरिक होगा ।

भारतीय पत्नी और विदेशी पति का बच्चा

1. भारतीय नागरिक से शादी के बाद । विदेशी लडकी चाहे । भारत मे रहे । य विदेश मे रहे । किसी भी सूरत मे । यदि विदेशी लडकी के । लडका य लडकी बच्चा होता है ।
2. तो यदि । लडका य लडकी बच्चा । का पी कार्ड भारत मे बनता है । तो ही । लडका य लडकी बच्चा । भारत का नागरिक होगा ।

भारतीय पत्नी और विदेशी पति की भारत यात्रा

1. यदि भारतीय लडकी । भारत की नागरिकता । छोड चुकी है । और वह विदेश मे । अपने पति के साथ । विदेश मे रहती है ।
2. तब भारतीय लडकी । और उसका विदेशी पति । यदि भारत आतें हैं ।
3. तो भारतीय लडकी और विदेशी लडके को । एफ टी कार्ड । यानी फार्नर ट्रैवल कार्ड के जरिये ही । तय सीमा । अवधि के लिए ही । भारत आना होगा ।

भारत का धन

1. भारत का धन । किसी भी । कार्ड से । लेन देन । भारत की सीमा के अंदर । भारतीय नागरिक से । भारत के किसी भी कार्ड से ही । लेन देन किया जा सकता है ।
2. भारत का धन को । भारत के बाहर । विदेश के । किसी भी कार्ड से । लेन देन नहीं । किया जा सकता है ।
3. भारत का धन । किसी भी । कार्ड से । धन । भारत के सीमा के बाहर । नहीं भेजा जा सकता ।
4. भारत का धन । किसी भी । कार्ड से । धन । भारत के सीमा के बाहर । विदेश के । किसी भी बैंक में । नहीं जमा । किया जा सकता ।
5. भारत का धन । भारत की सीमा के बाहर । धन भेजने के लिए । किसी भी । कार्ड अंकित वैध धन को । भारत के विदेश मंत्रालय में जमा करके । उस देश में । चलित नोट रूपया ही । भेजे जा सकते हैं ।

विदेश का धन

1. विदेश का धन । भारत की सीमा के । बाहर का धन । भारत लाने के लिए । धन को । भारत के विदेश मंत्रालय में । जमा करके । धन को किसी भी । कार्ड में । अंकित कराना होगा ।
2. विदेश का धन । भारत के सीमा के बाहर के । किसी भी बैंक का धन । सीधे सीधे । भारत के किसी भी कार्ड में । अंकित । जमा नहीं होगा ।
3. विदेश का धन । भारत के सीमा के बाहर के । विदेश के । किसी भी बैंक से । धन । भारत लाने के लिए । धन को । भारत के विदेश मंत्रालय में जमा करके । धन को । किसी भी । कार्ड में अंकित । जमा कराना होगा ।

जय विश्व अग्रणी भारत की